

स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

संघिका सं० 17/ए२-13/07/पटना, दिनांक 23/5/08

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के फिजियोलॉजी विभाग में कार्यकारी व्यवस्था के तहत व निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को प्राध्यापक के वेतनमान 14300-18300/-रु० प्रतिमाह में विभागीय समिति की अनुशंसा के आलोक में प्राध्यापक के पद पर कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत दी गई प्रोन्नति को नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में उल्लिखित तिथि से नियमित किया जाता है।

क्र०	चिकित्सक शिक्षक का नाम	वर्तमान पदस्थापन	प्राध्यापक के पद पर नियमित होने की तिथि
1	2	3	4
1	डा० दिनेश कुमार सिन्हा	श्रीकृष्ण चि०महा०, मुजफ्फरपुर	20.02.97
2	डा० एस० एन० शर्मा	पटना चि०महा०, पटना (अतिरिक्त प्रभार अपर निदेशक (चि०शि०))	इस अधि० निर्गत की तिथि से
3	डा० (श्रीमती) कृष्णा सिंह	दरभंगा चि०महा०, लहेरियासराय	इस अधि० निर्गत की तिथि से
4	डा० (श्रीमती) आशा सिन्हा (सेवानिवृत्त)	पटना चि०महा०, पटना	22.03.04 से 31.08.04 तक
5	डा० रामानंद मेहता (सेवानिवृत्त)	नालंदा चि०महा०, पटना	30.04.08 से (स्वेच्छिक सेवानिवृत्त तिथि 01.05.08 पूर्वाह्न)
6	डा० हर्ष नारायण झा	ज०ला०ने०चि०महा०, भागलपुर	इस अधि० निर्गत की तिथि से

उपरोक्त क्रमांक वरीयता का घटक नहीं है। प्रोन्नति में त्रुटि पाये जाने पर इसमें आशय संशोधन किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(जमीरुद्दीन अंसारी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक- 675(12) /पटना, दिनांक- 23/5/08

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजः आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी /वित्त विभाग, पटना / संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/ संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, स्वा० विभाग के सचिव//अपर आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / पेशाखा पदाधिकारी-1 एवं सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।